राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 1236/2024

सत्यनारायण सबल —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, सूचना तकनीकि एवं संचार विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, मुख्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. प्रधान चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग, नवलगढ़, झुंझुनू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.03.2024
आदेश की दिनांक : 21.03.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रोग्रामर के पद पर कार्यालय पीएमओ, सामान्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग, नवलगढ़, झुंझुनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सहायक प्रोग्रामर, जिला कार्यालय सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग झुंझुनू में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है, जो विधि—विरूद्ध एवं अनुचित है। अपीलार्थी को यात्रा—भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गया है। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 10827/2015 रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य का उद्धदरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक

अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत रखा जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रोग्रामर के पद पर कार्यालय पीएमओ, सामान्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग, नवलगढ़, झुंझुनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सहायक प्रोग्रामर, जिला कार्यालय सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग झुंझुनू में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 10827/2015 रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय अपीलार्थी के तथ्यों के समान नहीं के कारण अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थानप स्थान पर वर्ष 2016 से कार्यरत है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा) सदस्य	(शुचि शर्मा) सदस्य